



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

Notifn. No. 2324

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 273]

No. 273]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 1978/ज्येष्ठ 8, 1900

NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 1978/JYAISTHA 8, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 1978

आयकर

का० आ० 363(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम आयकर (छठा संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये 1 जून, 1978 को प्रवृत्त हो जाएंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में, नियम 6कक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“6 कक. धारा 35 गग और धारा 35 गगक के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी धारा 35 गग की उपधारा (1) के परन्तुक और धारा 35 गगक की उपधारा (1) और उपधारा 2 के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए “विहित प्राधिकारी” एक समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

अध्यक्ष

1. सचिव, कृषि विभाग कृषि और सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार।
सदस्य
2. सचिव, व्यय विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
3. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।”

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 1978

Income-Tax

S. O. 363 (E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Sixth Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the 1st day of June, 1978.

2. In the Income-tax Rules, 1962, for rule 6AA, the following rule shall be substituted, namely:—

“6AA. Prescribed authority for purposes of sections 35CC and 35CCA.—For the purposes of the proviso to sub-section (1) of section 35CC and sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 35CCA, the “prescribed authority” shall be the Committee consisting of the following, namely:—

1. Secretary, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Irrigation, Government of India
Chairman
2. Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India
Member
3. Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industry, Government of India
Member
4. Chairman, Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India
Member.”

[सं० 2324/का०सं० 142(5)/78-टीपीएल]
एस० एन० शेन्डे, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सचिव

[No.2324/F.No.142(5)/78-TPL]
S. N. SHENDE, Secy.